झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 576 / 2023

रितेश जोशी, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता- निर्मला जोशी, होल्डिंग.नं. 166, जोन नं. 4, बिरसानगर, विकेश भवन के पास, डाकघर एवं थाना- बिरसानगर, टाउन- जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम. (झारखंड)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अर्चना (चक्रवर्ती) जोशी, पति: रितेश जोशी, पिता: श्री रंजीत कुमार चक्रवर्ती, होल्डिंग नं. 166, जोन नं. 4, डाकघर और थाना- बिरसानगर, टाउन- जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड पिन 831004

... विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से :	श्री सौरव कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से :	श्री मनोज कुमार मिश्रा, अपर पी.पी.
ओ.पी. नं. 2 की ओर से :	श्री चंद्रजीत मुखर्जी, अधिवक्ता

प्रस्तुति

माननीय श्री. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:-दोनो पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें ए.बी.पी. संख्या 304 / 2021 से उत्पन्न एमसीए संख्या 2736 / 2022 में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.01.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो अब जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और यह भी कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय अवधि बढ़ाई जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब ए.बी.पी. संख्या 304 / 2021 में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया गया था, तो याचिकाकर्ता सीआर. एम.पी. 576/2023 कोविड-19 वायरस से संबंधित लक्षणों से पीड़ित होने के कारण, वह समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं कर सका। उसके बाद काफी समय तक, कोविड-19 महामारी के कारण अदालतें ऑनलाइन काम कर रही थीं और किसी को भी बाहर जाने की सलाह नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता को कोविड के बाद की स्थितियों के कारण जटिलताओं का भी सामना करना पड़ा और वह बहुत कमजोर हो गया। स्थिति सामान्य होने के बाद, जैसे ही अदालतों का सामान्य कामकाज फिर से शुरू हुआ, याचिकाकर्ता ने ए.बी.पी. संख्या 304/2021 के तहत उसे दी गई अग्रिम जमानत के संदर्भ में अपनी जमानत बांड जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन इसे जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे उक्त आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष और दस महीने से अधिक समय के बाद दायर किया गया था। प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत आवेदन में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार हस्ताक्षर करने वाले याचिकाकर्ता के लिए देरी कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के बाद याचिकाकर्ता द्वारा झेली गई जटिलताओं के कारण हुई, लेकिन जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश उस पर विचार करने में विफल रहे और न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना यांत्रिक तरीके से उसे खारिज कर दिया। इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि ए.बी.पी. संख्या 304/2021 से उत्पन्न एमसीए संख्या 2736 / 2022 में जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.01.2023 के आदेश को रद्द कर दिया

जाए और याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय अवधि बढ़ाई जाए।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी और विपरीत पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने एबीपी संख्या 304/2021 से उत्पन्न एमसीए संख्या 2736 / 2022 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 18.01.2023 को पारित आदेश को रद्द करने और अलग रखने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जो अब विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है और याचिकाकर्ता को विद्वान अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की प्रार्थना भी की। विपरीत पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अनावश्यक रूप से और जानबूझकर विद्वान अदालत के समक्ष अपने आत्मसमर्पण में देरी की है। तब यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने याचिकाकर्ता की विद्वान अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की प्रार्थना को सही रूप से खारिज कर दिया है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि इस सी.आर.एम.पी. को, बिना किसी योग्यता के, खारिज किया जाए।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि निर्विवाद तथ्य यह है कि कोविड-19 महामारी थी और अदालतें सामान्य रूप से भौतिक मोड में काम नहीं कर रही थीं और उस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार दिया गया था। निर्विवाद तथ्य यह भी है कि याचिकाकर्ता कोविड-19 वायरस से संबंधित लक्षणों से पीड़ित था और वह कोरोना के बाद की बीमारियों से पीड़ित था। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्धारित समय के भीतर विद्वान अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण न करने और ए.बी.पी. संख्या 304/2021 में पारित आदेश के अनुसार संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए समय अवधि नहीं बढ़ाने के इस वास्तविक कारण पर विचार न करके घोर अवैधता की है।

6. तदनुसार, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा एमसीए संख्या 2736/2022 में पारित दिनांक 18.01.2023 का आदेश, जो ए.बी.पी. संख्या 304/2021 से उत्पन्न हुआ था, कानून में टिकने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है और ए.बी.पी. संख्या 304/2021 में पारित दिनांक 18.01.2023 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय अवधि इस आदेश की तिथि से छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाती है।

7. परिणामस्वरूप, यह सीआर.एम.पी. स्वीकृत मानी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांच
दिनांक 20 दिसंबर 2023

sयह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।